न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा ,**I.A.S.**

प्रकरण संख्या —62 / 2019

1. हरदेव आयु 78 आत्मज छोगा जी
2. सुखपाल आयु 40 साल आत्मज हरदेव जी जाति गूजर निवासी केशवपुरा, कोटा, राजस्थान

........प्रार्थीगण

बनाम

1. कोशल्या बाई पुत्री गोपाल प्रसाद

   निवासी— सकतपुरा, खटीको के मंदिर के पास, खेमराज योगी के मकान में सकतपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान
2. जितेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ
3. नरेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 श्री रविन्द्र कुमार उर्फ रमेशचन्द नाथ जाति नाथ निवासीगण न्यू त्रिपाठी भवन, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी कोटा
4. श्रीमती रेखारानी पुत्री रविन्द्रकुमार पत्नी टीकमचन्द्र योगी जाति नाथ निवासी ग्राम मूण्डला तहसील अटरू, जिला बांरा
5. श्रीमती तारारानी पुत्री रविन्द्र कुमार पत्नी ओम प्रकाश योगी जाति नाथ निवासी ग्राम बडौदिया तहसील किशनगंज जिला बांरा
6. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 रविन्द्र कुमार पत्नी संजय योगी जाति नाथ निवासी बंजारा कोलोनी, केशवपुरा चौराहा कोटा
7. श्रीमती रामदयाल बाई पत्नी स्व0 रविन्द्र कुमार जाति नाथ निवासी न्यू त्रिपाठी भवन कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी कोटा
8. खेमराज (मृतक) जरिये कायम मुकामानः—

   8 / 1. श्रीमती कैलाश बाई पत्नी स्व0 खेमराज नाथ

   8 / 2. श्रीमती हेमलता पुत्री स्व0 खेमराज पत्नी राजेन्द्र योगी

   8 / 3. श्रीमती दुर्गेश पुत्री स्व0 खेमराज पत्नी बाबूलाल जाति नाथ निवासीगण केसरी सिंह धर्मशाला के पास, कुम्हारों का मोहल्ला, छावनी कोटा
9. जगन्नाथ (मृतक) जरिये कायम मुकामानः—

   9 / 1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 जगन्नाथ

   9 / 2. हेमराज योगी पुत्र स्व0 जगन्नाथ निवासीगण मोती महाराज मंदिर के पास, छावनी, कोटा

   9 / 3. श्रीमती पार्वती बाई पुत्री स्व0 जगन्नाथ पत्नी हीरालाल योगी, जाति नाथ निवासी ग्राम कादे माल, वाया तालेडा जिला बून्दी

   9 / 4. श्रीमती शान्ति बाई पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति नाथ निवासनी मोती महाराज मन्दिर के पास छावनी कोटा
10. मोहनलाल पुत्र स्व0 रामनारायण जाति नाथ निवासी मोती महाराज मन्दिर के पास, छावनी, कोटा, राजस्थान

Scanned by CamScanner

11. लाली बाई (मृतक) जरिये कायम मुकामानः–

11/1. केसर बाई पुत्री लाली बाई पत्नी स्व0 पन्नालाल

11/2. लोकेश पुत्र स्व0 रामनारायण पौत्र लालीबाई पत्नी स्व0 पन्नालाल

11/3. राधेश्याम पुत्र स्व0 रामनारायण पौत्र लालीबाई पत्नी स्व0 पन्नलाल

11/4. मुकेश बाई पुत्री स्व0 रामनारायण पौत्री लालीबाई पत्नी पन्नालाल

11/5. भूली बाई पुत्री स्व0 रामनारायण पौत्री लाली बाई

11/6. रूकमणी बाई पुत्री स्व0 रामनारायण पौत्री लाली बाई

11/7. भंवरी बाई पुत्री स्व0 रामनारायण पौत्री स्व0 लाली बाई

11/8. सुनीता बाई पुत्री स्व0 रामनारायण पौत्री स्व0 लाली बाई

11/9. कंवरी बाई बेवा स्व0 रामनारायण पुत्र वधु स्व0 लाली बाई जाति लश्करी निवासीगण ग्राम बोरखंडी, तह0 लाडपुरा जिला कोटा

12. नवल तोषनीवाल पुत्र गिरिराजशरण तोषनीवाल निवासी म.नं. 271, शोपिंग सेन्टर, कोटा

13. गणपत लाल पुत्र पन्नालाल जाति लश्करी निवासी बोरखंडी तहसील लाडपुरा कोटा

14. नाथी पुत्री पन्नालाल जाति लश्करी निवासी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राज0

15. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

........प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर0टी0ए0 वास्ते विड्रो किये जाने वाद न्यायालय एस.डी.ओ. कोटा से कमांक 16/2007 बउनवान कौशल्या बाई बनाम जितेन्द्र

उपस्थिति

1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शम्भू दयाल विजय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 29.01.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 रा0टी0ए0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण सं0 16/07 कौशल्या देवी बनाम जितेन्द्र कुमार वगै0 अन्तर्गत धारा 88–89–53–92ए–188 आर0टी0ए0 का मुकदमा वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर नई तनकीयात बनाने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.03.2019 को पेश किया था, जिसका जवाब वादी (अप्रार्थीगण) द्वारा दिनांक 27.05.2019 को पेश किया तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी के समक्ष वादी वकील साहब की बहस सुनकर प्रार्थी की बहस दिनांक 18.11.2019 को सुनी एवं आदेश में दिनांक 25.11.2011 नियत की, प्रार्थी ने अपने पक्ष की लिखित फर्द के साथ न्याय निर्णय पेश कर दिये किन्तु आदेश में तारीख 29.11.2019 दे दी गई। आदेश मालूम नहीं हो सका।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

2. उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कोटा में दिनांक 02.12.2019 को मालूम पडा कि प्रार्थनापत्र ऑर्डर– 14 रूल 5 सी0पी0सी0 (तनकीयात बनवाने हेतु) दिनांक 29.11.2019 को खारिज कर दिया हैं, आगामी पेशी नहीं बताई गई, कारण पत्रावली वापस साहब के पास से नहीं आई हैं, प्रार्थी ने बिना आगामी पेशी दर्ज किये आदेश दिनांक 29.11.2019 की नकल के लिये आवेदन कर दिया। रोज पूछने के बाद दिनांक 05.12.2019 को तारीख पेशी अन्तिम बहस हेतु दिनांक 06.12.2019 रीडर साहब ने बताई।

3. दिनांक 06.12.2019 को प्रातः ही जाकर प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित प्रार्थना पत्र पेशकर एक माह की समय रीविजन कर रेवेन्यु बोर्ड से स्थगन लाने हेतु पेश किया, जिसे पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा ने समय नहीं देकर खारिज कर बहस करने को कहा, पूर्व की लिखित बहस के आधार पर निर्णय करने को कहा, जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मोखिक बहस के लिये समय चाहा, तो नहीं दिया गया, जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि मेरे पक्षकार को न्याय की आशा माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय से नहीं हैं, प्रार्थी अन्यत्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधीश कोटा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हैं, इस पर पीठासीन अधिकारी जी ने पूर्व की लिखित बहस विड्रो करने एवं ट्रांसफर प्रार्थना पत्र पेश करने का लिखित में प्रार्थनापत्र पेश करने के निर्देश दिये, जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 06.12.2019 को लिखित में प्रार्थनापत्र पेश कर दिया, जिस पर तारीख पेशी 16.12.2019 नियत फरमाई गयी हैं।

4. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का इस प्रकरण में न्यायालय में रवैया पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता हैं तथा प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा एवं विश्वास हैं कि पीठासीन अधिकारी वाद में पक्षपातपूर्ण तरीकें से प्रार्थी के विपरीत निर्णय पारित कर देगें। प्रार्थी अपने न्यायिक अधिकारों एवं स्वच्छ एवं पारदर्शी सुनवाई के लिये श्रीमान से प्रार्थना करता है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को स्वयं अथवा अन्यत्र अधिकारिता वाले न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय से हस्तांतरित फरमा दिया जावें।

5. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । वकील उपस्थित, उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर नई तनकीयात बनाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिसका जवाब वादी (अप्रार्थीगण) द्वारा पेश किया तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थनापत्र ऑर्डर– 14 रूल 5 सी0पी0सी0 (तनकीयात बनवाने हेतु) दिनांक 29.11.2019 को खारिज कर दिया हैं, आगामी पेशी नहीं बताई गई। रोज पूछने के बाद दिनांक 05.12.2019 को तारीख पेशी अन्तिम बहस हेतु दिनांक 06.12.2019 रीडर साहब ने बताई। दिनांक 06.12.2019 को प्रातः ही जाकर प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित प्रार्थना पत्र पेशकर एक माह की समय रीविजन कर रेवेन्यु बोर्ड से स्थगन लाने हेतु पेश किया, जिसे पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा ने समय नहीं देकर खारिज कर बहस करने को कहा, पूर्व की लिखित बहस के आधार पर निर्णय करने को कहा। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मोखिक बहस के लिये समय चाहा, तो नहीं दिया गया, जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि मेरे पक्षकार को न्याय की आशा माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय से नहीं हैं एवं प्रार्थी अन्यत्र

जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय से नहीं हैं एवं प्रार्थी अन्यत्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधीश कोटा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हैं, जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 06.12.2019 को लिखित में प्रार्थनापत्र पेश कर दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का इस प्रकरण में न्यायालय में रवैया पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता हैं। प्रार्थी अपने न्यायिक अधिकारों एवं स्वच्छ एवं पारदर्शी सुनवाई के लिये श्रीमान से प्रार्थना करता है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय से स्वयं अथवा अन्यत्र अधिकारिता वाले न्यायालय में हस्तांतरित फरमा दिया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षीगण का कथन है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय से स्वयं अथवा अन्यत्र अधिकारिता वाले न्यायालय में हस्तांतरित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरित किये जाने प्रकरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं0 16/07 कौशल्या देवी बनाम जितेन्द्र कुमार वगै0 अन्तर्गत धारा 88–89–53–92ए–188 आर0टी0ए0 का मुकदमा वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है ।

9. अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन प्रकरण सं0 16/07 कौशल्या देवी बनाम जितेन्द्र कुमार वगै0 अन्तर्गत धारा 88–89–53–92ए–188 आर0टी0ए0 का मुकदमा वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से न्यायालय अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु), सहायक कलक्टर, कोटा को हस्तान्तरित किया जाता हैं तथा श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु), सहायक कलक्टर, कोटा के कार्यकाल समाप्ति पर उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा में सुना जावेगा। उभयपक्ष पक्षकारान दिनांक 12.2.2020 को अपनी उपस्थित अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु), सहायक कलक्टर, कोटा में देवें ।

10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

जिला कलक्टर कोटा (राजस्थान)

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner